न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2024 (बांसवाड़ा डिक्री)

बूचा पिता स्वर्गीय हुकमा, चमार, निवासी राठधनराज, तहसील सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार, सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
का. अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ दिनांक
08.12.2009 प्रकरण संख्या 14/2008

———/———

उपस्थित :– 1– श्री एम. एस. राठौड़ अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री पैरोकार सरकार

———::———

निर्णय **दिनांक 27–03–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम राठधनराज, तहसील सज्जनगढ़ में आराजी नंबर 484 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके खातेदार बुचा पिता हुकमा चमार है, जबकि कब्जा पृथ्वीसिंह पिता वजेसिंह लबाना का है, जो धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत होने से उक्त भूमि कब्जेराज ली जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षी संख्या 1 ने प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि मेरी खातेदारी की होकर कब्जा भी मेरा ही है, विपक्षी संख्या 2 का कब्जा नहीं है, न ही उक्त भूमि उन्हें कभी विक्रय की गयी है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

विपक्षी संख्या 2 ने भी जवाब प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमि मेरे द्वारा क्रय नहीं की गयी है, न ही मेरा कब्जा है, बल्कि कब्जा विपक्षी संख्या 1 बूचा का ही चला आ रहा है। मेरा कोई कब्जा काश्त नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:54 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08–12–2009 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि को बिलानाम सरकार सिवायचक घोषित करने का आदेश दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 17–10–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री एम. एस. राठौड़ उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 14–07–2023 को हुई। अपीलान्टगण अनुसूचित जाति का अशिक्षित एवं गरीब सदस्य होने से कानून का ज्ञान नहीं था। इस कारण अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 08–12–2009 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 17–10–2024 को प्रस्तुत की है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर दिनांक 07–02–2010 तक अपील प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी। इस प्रकार करीब 14 वर्ष 8 माह से भी अधिक विलम्ब से यह अपील प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किये हैं उन्हें इतने वर्षो के विलम्ब हेतु उचित एवं पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। तद्नुसार अपील मयाद बाहर होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट द्वारा कभी भी उक्त भूमि उदयसिंह पिता पृथ्वीसिंह को विक्रय नहीं की गयी है, न उनका कब्जा है बल्कि कब्जा अपीलान्ट का ही चला आ रहा है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:54 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट के खातेदारी एवं कब्जे शुदा भूमि को कब्जेराज लेने का आदेश पारित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर भूमि पुनः अपीलान्ट के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार उक्त बहस का जवाब देते हुए बताया कि विवादित भूमि का खातेदार बुचा पिता हुकमा चमार है, जबकि कब्जा पृथ्वीसिंह पिता वजेसिंह लबाना का है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि को कब्जेराज लेने का जो आदेश पारित किया है वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2059 से 2062 में विवादित आराजी नंबर 484 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि अपीलान्ट बूचा पिता हुकमा चमार के खातेदारी में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक अनरजिस्टर्ड बेचान दस्तावेज की फोटो प्रति संलग्न है, जिसके अनुसार खातेदार बूचा द्वारा विवादित आराजी नंबर 484 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि उदेसिंह पिता पृथ्वीसिंह को 28,501/– रूपये में किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया जाना स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आधारों पर ही निर्णय पारित करते हुए विवादित भूमि को बिलानाम सरकार सिवायचक घोषित करने का आदेश दिया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय 08–12–2009 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 27–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:05:54 IST
Reason: SelfAttested